न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/सीलिंग/2368/2006/कोटा

1. देवराजसिंह
2. खानसिंह — पुत्रगण भंवरसिंह उर्फ नंदसिंह
3. केशवसिंह
4. आनन्दकंवर बेवा स्व0 भंवरसिंह उर्फ नंदसिंह
5. हेमकंवर
6. उम्मेदकंवर — पुत्रियां भंवरसिंह उर्फ नंदसिंह
7. ब्रजकुंवर
8. राजकंवर

समस्त निवासी ओनार की झोंपड़िंया तहसील व जिला बून्दी राज0।

...अपीलाण्ट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बूंदी ।

...रेस्पोडेण्ट्स

एकलपीठ

श्री आर.सी.गुप्ता, सदस्य

उपस्थितः–

श्री एस.एस.पंवार, अभिभाषक अपीलार्थीगण

श्री एस.पी.ओझा, उप राज0 अभिभाषक ।

निर्णय

दिनांक–21–8–13

1– यह अपील धारा 23(2–ए) राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम,1973 (संक्षेप में सीलिंग अधिनियम) के अन्तर्गत अतिरिक्त कलेक्टर (सीलिंग) बूंदी द्वारा सीलिंग प्रकरण संख्या

631/06 में दिनांक 31.3.2006 को पारित किये गये निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी, बून्दी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (सीलिंग सीमा से अधिक भूमि अधिग्रहण) अधिनियम 1955 के अध्याय III के अन्तर्गत अपीलाण्ट के सीलिंग प्रकरण का निस्तारण करते हुए निर्णय दिनांक 28.7.1975 से अपीलाण्ट के पास धारित भूमि को सीलिंग सीमा से कम मानते हुए, प्रकरण को समाप्त कर दिया । उक्त निर्णय को कानूनी प्रावधानों के विपरीत एवं राज्य हित के प्रतिकूल मानते हुए राज्य सरकार (राजस्व विभाग) ने अपने आदेश दिनांक 15-7-1980 के द्वारा सीलिंग अधिनियम की धारा 15(2) के अन्तर्गत पुनः खोला जाकर निर्णय करने हेतु जिला कलेक्टर, बून्दी के यहां प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया। जिला कलेक्टर, बून्दी के यहां से पत्रावली अति0 जिला कलेक्टर सिलिंग बून्दी को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(37) राज0/सी/83 दिनांक 21-5-83 द्वारा प्रेषित की गई । इस आदेश की पालना में अति0 कलेक्टर(प्रशासन) ने निर्णय दिनांक 3-3-97 के द्वारा प्रकरण को पुनः परीक्षण करते हुए, राज्य सरकार द्वारा दिया गया री-ओपन का आदेश दिनांक 15-7-1980 के क्रम में अपीलाण्ट के पिता चन्दनसिंह के पास 30 स्टे0 एकड भूमि छोड़ते हुए शेष 22-88 स्टे0 एकड़ भूमि सरप्लस मानकर अधिग्रहण किए जाने के आदेश दिए । अति0 जिला कलेक्टर के उक्त एकपक्षीय आदेश के विरूद्ध प्रार्थी भंवरसिंह पुत्र चन्दनसिंह द्वारा द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थी चन्दनसिंह की मृत्यु हो चुकी है अतः प्रकरण में पुनः सुनवाई की जावे । अतिरिक्त कलेक्टर ने अपने निर्णय दिनांक 31.3.2006 द्वारा भी चन्दनसिंह भूमिधारी की 22.88 स्टे0एकड़ भूमि सरप्लस घोषित करने के आदेश दिए । उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3- विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय नियम एंव रिकार्ड के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है । उनका कथन है कि भूमिधारक अपीलाण्ट के पिता स्व0 चन्दनसिंह के पास मात्र 144 बीघा 9 बिस्वा भूमि थी तथा यह आराजी चन्दनसिंह की पुश्तैनी आराजी थी । चन्दनसिंह का भंवरबाई से कोई रिश्ता नहीं था । भंवरबाई अपीलाण्ट के परिवार की सदस्या नहीं है बल्कि वह चन्दनसिंह के भाई रूपसिंह की पुत्री थी । इस प्रकार भंवरबाई की खाते की भूमि चन्दनसिंह के न तो कब्जे में है और न ही खाते में है बल्कि स्व0 भवंरबाई द्वारा तथा उसके वारिस प्रकाश उर्फ गोपालबाई द्वारा अन्य काश्तकारों को सीलिंग कार्यवाही से पूर्व बेचान कर दी है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर प्रार्थी की भूमि भंवरबाई की भूमि के साथ क्लब कर भूमि अधिग्रहण के जो आदेश दिए वे सर्वथा कानून के विपरीत है । विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (अधिकतम जोत सीमा से अधिक भूमि का अधिग्रहण) अधिनियम 1955 की धारा 30 बी(A) में परिवार की परिभाषा दी गई है जिसमें परिवार के अन्तर्गत पति और पत्नि एवं उनके आश्रित बच्चे एवं पौत्र व पौत्रियां तथा आश्रित विधवा माँ को सम्मिलित किया गया था । उक्त परिभाषा के अन्तर्गत भाई की पुत्री परिवार की परिभाषा में नहीं आती है। अधीनस्थ न्यायालय ने भाई की पुत्री को परिवार का सदस्य मानते हुए स्व0 भंवरबाई के खाते की आराजी को अपीलाण्ट के खाते में सम्मिलित कर कानूनी भूल की है । तहसीलदार की केवल मात्र यह रिपोर्ट कि भंवरबाई के खाते की भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा है से अपीलाण्ट के स्वत्व अधिकार सृजित नहीं होते हैं न ही उसके खाते की भूमि को अपीलाण्ट के खाते में सम्मिलित किया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय का यह कर्त्तव्य था कि यदि उन्हें भंवरबाई की भूमि के कब्जे या खाते के संबंध में कोई विवाद है तो उन्हें तहसीलदार एवं

पटवारी हल्का से भूमि बाबत् विस्तृत रिपोर्ट मंगवायी जानी चाहिए थी केवल कयास के आधार पर भंवरबाई के खाते की भूमि को अपीलाण्ट के खाते के साथ जोड कर अधिकतम जोत सीमा से अधिक भूमि को सरप्लस घोषित करने के जो आदेश पारित किए है वह त्रुटिपूर्ण और निरस्तनीय है । अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा सीलिंग प्रकरण का निस्तारण दिनांक 28-7-75 को निर्णित करते हुए समाप्त कर दिया गया था तथा राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रकरण का दिनांक 15-7-1980 को रिओपन किया गया । अतः प्रकरण समय सीमा से बाहर जाकर reopen (पुनः खोला) किया गया । इस संबधं में उन्होंने न्यायिक दृष्टांत आर.आर. डी 1992 पृष्ठ 626 आर.आर.डी 1990 पृष्ठ 646 आर.आर.डी 1992 पृष्ठ 626, आर.आर.डी 1991 पृष्ठ 14, प्रस्तुत किए । अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे ।

4- विद्वान उप राज0 अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलाण्ट के सीलिंग प्रकरण का निर्णय दिनांक 28-7-75 को किया था तथा राज्य सरकार ने प्रकरण का निर्णय किए जाने हेतु दिनांक 21-5-83 को रिओपन किया गया था । उपरोक्त कार्यवाही समय सीमा के अन्तर्गत की गई है । इसके अतिरिक्त मियाद के बिन्दु पर कोई विवाद था तो अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में इस बिन्दु को उठा सकता था अपील के स्तर पर अब बिन्दु मान्य नहीं है ।

भंवरबाई की मृत्यु होने के पश्चात उसके खाते की भूमि पर अपीलाण्ट एवं उसके वारिसान का कब्जा चला आ रहा है । अपीलाण्ट एवं उसके वारिसान ही उक्त भूमि पर काश्त करते आ रहे हैं । स्वयं चन्दनसिंह ने स्व0 भंवरबाई को अपने परिवार की सदस्य एवं वारिस मानते हुए विभिन्न दस्तावेज के द्वारा विक्रय इकरारनामा किया है एवं विक्रय पत्र पंजीयन कराये हैं । भंवरबाई उसके परिवार की एक सदस्या थी। इसके अतिरिक्त भंवरबाई के खाते में 94 बीघा 14 बिस्वा भूमि जो

33.42 स्टे0एकड़ भूमि बनती है को क्लब करते हुए अधिग्रहण की थी । चूंकि अपीलाण्ट के परिवार के 5 सदस्यों की न्यूनतम संख्या मानते हुए 30 स्टे0एकड़ भूमि छोड़कर शेष 22.88 एकड़ भूमि ही अधिग्रहित की गई । इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट के खाते में से कोई भूमि अधिग्रहण नहीं की गई है । अतः अपीलाण्ट को उक्त अधिग्रहित भूमि के निर्णय से कोई क्षति नहीं हुई है जो भी भूमि अधिग्रहित की गई है वह स्व0 भंवरबाई के खाते की भूमि अधिग्रहित की गई है तथा यदि अपीलाण्ट के इस कथन को भी माना जावे कि उसका भंवरबाई से कोई संबंध नहीं है न ही उसका भंवरबाई के खाते की भूमि पर कब्जाकाश्त है तो वह एक हितबद्ध पक्षकार नहीं है और उसे उक्त भंवरबाई की भूमि के अधिग्रहण किए जाने से कोई अहित नहीं होगा । अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे ।

5. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया ।

6. उपखण्ड अधिकारी, बून्दी द्वारा अप्रार्थी/अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 3कक के अन्तर्गत सीलिंग सीमा से अधिक भूमि को अधिग्रहित किए जाने की कार्यवाही की गई थी लेकिन अप्रार्थी/अपीलाण्ट की भूमि सीलिंग सीमा से कम मानते हुए प्रकरण को समाप्त कर दिया गया जिसको राज्य सरकार ने प्रकरण को अपने निर्णय दिनांक 15-7-80 के द्वारा कुछ निर्देशों के साथ रिओपन करने के निर्देश दिए । उक्त निर्देशों की पालना में अतिरिक्त कलेक्टर(सीलिंग) बून्दी द्वारा प्रकरण को पुनः रिओपन कर स्व0 भंवरीबाई की खाते की आराजी भूमि 94 बीघा 14 बिस्वा को अपीलाण्ट के साथ क्लब कर सीलिंग सीमा से अधिक भूमि का अधिग्रहण कर प्रकरण का निस्तारित किया गया ।

अपीलाण्ट के योग्य अधिवक्ता ने मियाद के बिन्दु पर यह तर्क प्रस्तुत किया था कि राज्य सरकार द्वारा सीलिंग प्रकरण के रीओपन की कार्यवाही की गई है वह मियाद के बाहर की गई है जो चलने योग्य नहीं है, इस संबंध में हमने पत्रावली का अवलोकन किया । राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में जो रिओपन की कार्यवाही के निर्देश दिए हैं वह मियाद सीमा के अन्तर्गत ही जारी किए गए हैं । अतः उनकी यह आपत्ति खारिज की जाती है ।

7- पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड से विदित होता है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा मि0सं0 1359/71 में अपीलाण्ट स्व0 चन्दनसिंह की भूमिधारक की भूमि का सीलिंग प्रकरण निष्पादन करने के निर्देश दिए थे। तहसीलदार, बूंदी द्वारा उक्त भूमिधारक की भूमि का सत्यापन कर सत्यापन रिपोर्ट प्रदर्श A/4/1 भिजवायी थी जिसके अनुसार श्री चन्दनसिंह, भूमिधारक के खाते में दिनांक 1-4-66 को 144 बीघा 9 बिस्वा भूमि अंकित होना तथा स्व0 भंवरबाई के खाते की आराजी 94 बीघा 14 बिस्वा पर उक्त चन्दनसिंह भूमिधारक का कब्जा काश्त होना अंकित किया था । प्रार्थी चन्दनसिंह ने सीलिंग संबंधी घोषणा पत्र प्रदर्श 4/5/10 एवं प्रदर्श A/5/1 प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने स्वयं के खाते की आराजी 144 बीघा 9 बिस्वा दर्ज होना तथा उसमें से 1/2 हिस्सा अपने पुत्र भंवरसिंह को बंटवारे में देने, परिवार का विवरण अंकित किया जिसके अनुसार चन्दनसिंह ने अपने परिवार में भवंरसिंह उम्र 35 वर्ष, पुत्रवधु, दो पौत्रियां एवं एक पौत्र का होना उल्लेखित किया । स्व0 चन्दनसिंह की घोषणा एवं तहसीलदार द्वारा जो सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसमें भंवरबाई की भूमि पर चन्दनसिंह का कब्जा काश्त के अलावा कोई विपरीत तथ्य नहीं आया है ।

उक्त भूमिधारक के अतिरिक्त उपखण्ड अधिकारी द्वारा मि0नं0 1359 सीलिंग से भवंरबाई दुख्तरी रूपसिंह की आराजी का सत्यापन

करने पर तहसीलदार बूंदी द्वारा भूमिधारक भंवरबाई के खाते में 94 बीघा 14 बिस्वा भूमि दर्ज होना एवं उक्त भूमि का चन्दनसिंह के कब्जे में होना अंकित किया था । चूंकि स्व0 भंवरबाई की मृत्यु शादी से पूर्व हो जाने एवं उसके खाते की भूमि का इंतकाल उसके विधिक वारिस के नाम स्वीकृत नहीं होने तथा कब्जा भी चन्दनसिंह जो स्व0 भंवरबाई के पिता का बड़ा भाई था, के कब्जे में थी सीलिंग नोटिस चन्दनसिंह को दिया गया जिस पर उसके द्वारा स्व0 भंवरबाई के वारिसान के स्थान पर स्वयं ने घोषणा पत्र प्रस्तुत किया । उक्त घोषणा पत्र में चन्दनसिंह ने भवंरबाई की भूमि को अपने कब्जे में होने से इंकार किया है ।

8- अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर, ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र जो स्व0 भंवरबाई के खाते की भूमि 94 बीघा 14 बिस्वा भूमि पर भी चन्दनसिंह का कब्जा काश्त होना एवं भंवरबाई का फौत होना बताया गया है तथा चन्दनसिंह द्वारा जो घोषणा पत्र भूमि की स्थिति के बाबत् प्रस्तुत किया गया है, के अनुसार स्व0 भंवरबाई के खाते की भूमि को चन्दनसिंह के द्वारा खातेदार नहीं होने के बावजूद विभिन्न व्यक्तियों को स्व0 भंवरबाई का वारिसान बताते हुए प्रतिफल की राशि प्राप्त कर विक्रय किए जाने के कारण भूमिधारी अपीलाण्ट के खाते की भूमि के साथ क्लब किया गया तथा सीलिग सीमा से अतिरिक्त भूमि को अधिग्रहित किए जाने के आदेश पारित किए गए ।

9- हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए निम्न बिन्दुओं को देखा जाना आवश्यक है-

1. अपीलाण्ट चन्दनसिंह के परिवार में दिनांक 1-4-66 को कौन-कौन सदस्य थे ?

2. द्वितीय, क्या स्व0 भंवरबाई के खाते की भूमि चन्दनसिंह के खाते के साथ क्लब की जा सकती है अथवा नहीं ?

3. तृतीय, आया स्व0 भंवरबाई की मृत्यु के पश्चात उसके खाते की आराजी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत किस व्यक्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त होती है ? एवं उसके विरूद्व क्या सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी चाहिए ?

अपीलाण्ट चन्दनसिंह भूमिधारक के खाते में दिनांक 1-4-66 को 144 बीघा 9 बिस्वा भूमि दर्ज थी । उक्त बिन्दु के उपर कोई विवाद नहीं है तथा उसके परिवार में वह स्वयं तथा उसका एक पुत्र भंवरसिंह उम्र 30 वर्ष एवं दो पौत्रियां अंकित की गई है तथा तहसीलदार से वांछित रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत पत्र कमांक 959 दिनांक 12-8-87 के अनुसार भूमिधारक के परिवार में स्वयं भूमिधारी के अतिरिक्त उसकी दो पत्नियाँ, एक पुत्र , भाई की वधु एवं दो भतिजियाँ अंकित की गई हैं। अतः भूमिधारी चन्दनसिंह के परिवार में स्वयं भूमिधारक, दो पत्नियां एवं एक पुत्र कुल 4 सदस्य निर्धारित दिनांक को मान्य थे ।

10- पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड से यह भी स्पष्ट है कि भूमिधारक की भूमि पैतृक सम्पत्ति थी तथा भूमिधारक के पुत्र भवंरसिंह अपीलाण्ट आयु लगभग 30 वर्ष थी एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत पुत्र को जन्म से ही नोशनल शेयर पाने का प्रावधान है । अतः निर्धारित दिनांक को ही वह बालिग एवं स्वतंत्र ईकाई के रूप में विद्यमान था । इस प्रकार भूमिधारक की आराजी में 144 बीघा 9 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है ।अतः निर्धारित दिनांक को भूमिधारी के पास अपने पुत्र का 1/2 हिस्सा नोशनल शेयर में छोड़ने पर भूमिधारी के स्वयं के पास स्वयं के खाते में 72 बीघा 4/1/2 (साढ़े चार बिस्वा) भूमि अर्थात 19.46 स्टे0एकड़ भूमि शेष रहती है । चूंकि भूमिधारी के परिवार की सदस्यों की संख्या 5 से कम है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (भूमि अधिग्रहण सीलिंग सीमा से अधिक भूमि का अधिग्रहण) अधिनियम 1955 की धारा 30(c) के अन्तर्गत 5 या उससे

कम परिवार के सदस्यों को एक ईकाई मानते हुए 30 स्टे0एकड़ भूमि तक रखने का अधिकार प्रदान किया गया है । इस प्रकार चन्दनसिंह भूमिधारक के खाते में उसके पुत्र के नोशनल शेयर को घटाने के पश्चात शेष भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होना नहीं पाया जाता है । लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने स्व0चन्दनसिंह भूमिधारक के खाते में उसके भाई की लड़की स्व0 भंवरबाई के खाते की आराजी 94 बीघा 14 बिस्वा जो 33.42 स्टे0एकड़ होती है को चन्दनसिंह भूमिधारक के खाते में सम्मिलित करते हुए कुल भूमि 52.88 स्टे0एकड़ भूमि मानते हुए सीलिंग सीमा से अधिक 22.88 स्टे0एकड़ भूमि को सरप्लस घोषित किए जाने के आदेश दिए है ।

अपीलाण्ट के योग्य अधिवक्ता ने अपने तर्क में मुख्य रूप से इस बिन्दु पर जोर दिया है कि स्व0भवंरबाई भूमिधारक चन्दनसिंह के परिवार की सदस्या नहीं है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के चेपटर iii बी सीलिंग सीमा से अधिक भूमि के अधिग्रहण अधिनियम की धारा 30(b)(a)में परिवार की परिभाषा दी गई है इसमें भाई की लड़की परिवार की सदस्या नहीं मानी गई है । यहां उक्त परिभाषा को उद्धरित करना उचित होगा ।

30 B- Definition- For the purpose of this chapter -

(a) "family shan mean a family consisting of a husband and wife, their children and grand children being dependent on them and the widowed mother of the husband so dependent and ;

(b) "person", in the case of an individual , shall include the family of such individual.

(c) Extent of ceiling area- The ceiling area for a family consisiting five or less than five members shall be thirty standered acres of land .

उक्त परिभाषा के अनुसार परिवार के अन्तर्गत पति और पत्नि उनके बच्चे व पौत्र, पौत्रियां जो उन पर आश्रित हैं तथा पति की विधवा आश्रित माँ को ही परिवार में सम्मिलित किया गया है ।

11- प्रस्तुत प्रकरण में भूमिधारक श्री चन्दनसिंह का पुत्र भंवरसिंह जिसको सीलिंग प्रकरण के लिए निर्धारित तिथि 1-4-66 को उपलब्ध घोषणा पत्र एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार बालिग एवं बालिग पुत्र की स्थिति थी तथा वह अपने पिता पर आश्रित नहीं था । इस प्रकार परिवार की परिभाषा के अनुसार वह पिता पर आश्रित नहीं होने के कारण उसको पृथक ईकाई के रूप में माना जावेगा एवं परिवार की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होगा । इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय में कोई विवाद नहीं है । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भूमिधारक चन्दनसिंह के परिवार में चन्दनसिंह के सीलिंग प्रकरण में स्वर्गीय भंवरबाई को परिवार का सदस्य मानते हुए उसकी आराजी को भी सम्मिलित कर दिया जब कि परिवार की उक्त परिभाषा के अनुसार भूमिधारक के पति अथवा पत्नि उनके बच्चे व पौत्र व पौत्रियां जो उन पर आश्रित हैं को ही परिवार में सम्मिलित किया जा सकता है । स्वर्गीय भंवरबाई भूमिधारक चन्दनसिंह के परिवार की सदस्य नहीं होने के कारण उसके खाते की आराजी को चन्दनसिंह की भूमि में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है ।

12- अपीलाण्ट के योग्य अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का भी अवलोकन करना उचित होगा । आर.आर.डी. 1990 पृष्ठ 646 "गोरधन लाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान " में राजस्व मण्डल में यह अभिमत दिया है कि किसी सदस्य की भूमि को भूमिधारक की भूमि के साथ क्लब करते समय परिवार की परिभाषा देखनी आवश्यक है । परिवार की परिभाषा में भतीजी सम्मिलित नहीं है । इसलिए उसकी भूमि को भूमिधारक की भूमि के साथ सम्मिलित किया जाना उचित नहीं है ।

इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत एवं पुराना सीलिंग कानून की धारा 30-बी से स्पष्ट है कि भूमिधारक चन्दनसिंह के परिवार में स्वर्गीय भंवरबाई को सदस्य नहीं माना जा सकता और जब वह परिवार की सदस्य नहीं है तो उसके खाते की आराजी को भी भूमिधारक चन्दनसिंह के प्रकरण में क्लब नहीं किया जा सकता ।

उपरोक्त पेरा संख्या 11 से हम इस विनिश्चय पर पहूँचे हैं कि स्वर्गीय भंवरबाई के खाते की आराजी को भूमिधारक चन्दनसिंह के प्रकरण में क्लब नहीं किया जा सकता । स्वर्गीय भंवरबाई जिसके खाते में 94 बीघा 14 बिस्वा भूमि दर्ज है तथा जो सीलिंग सीमा से अधिक है के प्रकरण के निस्तारण हेतु हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत वारिस का निर्धारण किया जाकर उक्त प्रकरण का निर्धारण किया जाना आवश्यक है । स्वर्गीय भंवरबाई पुत्री रूपसिंह के खाते की आराजी के संबंध में तहसीलदार, बून्दी द्वारा सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत प्रदर्श 1/8/1 से उपखण्ड अधिकारी(प्राधिकृत अधिकारी) ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। स्वर्गीय भंवरबाई के खाते में 94 बीघा 14 बिस्वा भूमि दर्ज है तथा मौके पर चन्दनसिंह का कब्जा है । खातेदार के कोई बाल-बच्चे नहीं है एवं रिकार्ड के आधार पर चन्दनसिंह द्वारा घोषणा पुत्र प्रस्तुत किया गया था । उक्त घोषणा पत्र के साथ ही चन्दनसिंह ने यह कथन करते हुए कि स्वर्गीय भंवरबाई की आराजी पर उसका कब्जा नहीं है तथा वह उसके परिवार की सदस्य नहीं है के साथ ही कुछ नकल बैनामें यथा प्रदर्श ए/11/2 श्री सोहन बल्द रसाल कौम बन्जारा को 245 रूपये में विक्रय करने का इकरार, प्रदर्श ए/11/3 चन्दनसिंह द्वारा भंवरबाई को पुत्री लिखते हुए दिनांक 29-1-64 को सरदार बल्द भारगा बन्जारा को विक्रय करने का इकरार प्रदर्श ए/13/2 नकल बेनामें जो चन्दनसिंह की ओर से भंवरबाई की जमीन को दिनांक 7-4-72 को स्वयं भंवरबाई का वारिस बताते हुए विक्रय नामा किया है। इस प्रकार प्रदर्श ए/13/3 में भी भंवरबाई का वारिस अंकित करते हुए भंवरबाई की जमीन का बेचान

किया गया है । उक्त सभी दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि चन्दनसिंह द्वारा जहां एक ओर प्राधिकृत अधिकारी एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को सीलिंग प्रकरण में यह अभिमत लिया गया कि उसका भंवरबाई से कोई पारिवारिक संबंध नहीं है वहीं दूसरी ओर उसने स्वयं के द्वारा भंवरबाई का वारिस बताते हुए भंवरबाई के खाते की भूमि का विभिन्न व्यक्तियों को बेचान किया गया है । अतः उन कपितय विक्रयनामें के आधार पर उक्त भूमि को चन्दनसिंह की भूमि के साथ जोड़ा जाना उचित नहीं है ।

13- पत्रावली के अवलोकन तथा विभिन्न गवाहों द्वारा दिए गए बयानों से यह भी विदित होता है कि चन्दनसिंह के भाई रूपसिंह की दो पुत्रियां भंवरबाई एवं गोपालबाई उर्फ प्रकाश बाई थी । भंवरबाई की मृत्यू अविवाहित ही हो गई थी । रूपसिंह की आराजी की खाते का नामान्तरकरण भंवरबाई एवं गोपालबाई उर्फ प्रकाश बाई के खाते में दर्ज हुआ था जो ग्राम ओनार जी की झोंप तहसील बून्दी खतौनी संख्या 31 जमाबन्दी संवत 2032-2035 गोपालबाई उर्फ प्रकाश बाई के खाते की प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार गोपालबाई उर्फ प्रकाश बाई के खाते में 166 बीघा 9 बिस्वा भूमि दर्ज है । प्रदर्श पी-2 जो भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बंदोबस्त प्रक्रिया के दौरान परिशोधन पत्र इन्द्राज खंसरा प्रस्तुत किया गया है के अनुसार भंवरबाई पुत्री रूपसिंह का वर्तमान इन्द्राज गोपालबाई उर्फ प्रकाश बाई पुत्री रूपसिंह कौम राजपूत साकिन देह अंकित किया गया है तथा जांच अधिकारी ने भी यह नोट अंकित किया है कि गोपालबाई उर्फ प्रकाश बाई मौजूद नहीं है । हस्व तस्दीक उपसरपंच भंवरबाई बिना शादी-शुदा होने व रूपसिंह के दीगर संतान अलावा गोपालबाई उर्फ प्रकाश बाई के नहीं होने से गोपालबाई उर्फ प्रकाश बाई के नाम से मंजूर किया जाना है और उक्त इन्द्राज स्वीकृत किए गए हैं। इससे भी स्पष्ट है कि अपीलाण्ट का पिता स्व0 चन्दनसिंह भंवरबाई का वारिस नहीं है। चूंकि सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत भंवरबाई का सत्यापन पत्र एवं घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया था एवं चन्दनसिंह द्वारा

प्रस्तुत घोषणा कतिपय बयनाामों एवं कब्जा के आधार पर भंवरबाई के खाते की भूमि को चन्दनसिंह के खाते में सम्मिलित कर लिया गया था। लेकिन उक्त तथ्यों के आधार पर श्री चन्दनसिंह को भंवरबाई को वारिस नहीं माना जा सकता है । जैसा कि उपर विवेचन किया गया है कि स्व0 भंवरबाई की मृत्यु पश्चात बंदोबस्त विभाग के दस्तावेज प–2 परिशोधन पत्र से गोपाल बाई उर्फ प्रकाशबाई का नाम भी आया है । अतः स्व0 भंवरबाई के खाते की भूमि के सीलिंग प्रकरण में इनकी व्यक्तिगत विधि(persnol law) के अन्तर्गत उत्तराधिकारी का निर्धारण कर तत्समय प्रचलित सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत विधिसम्मत कार्यवाही की जावे ।

14– अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। भूमिधारी चन्दनसिंह एवं उनके वारिसान/उत्तराधिकारी अपीलाण्ट के विरूद्व सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं पाये जाने के कारण सीलिंग प्रकरण समाप्त किया जाता है । प्रकरण इस निर्देश के साथ अतिरिक्त कलेक्टर(सीलिंग), बून्दी को प्रतिप्रेषित किया जाता कि वे स्वर्गीय भंवरबाई पुत्री रूपसिंह की व्यक्तिगत विधि (persnol law) के अन्तर्गत उत्तराधिकारी का निर्धारण कर सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत विधिसम्मत कार्यवाही की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(आर.सी.गुप्ता)
सदस्य